



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 189 राँची, शुक्रवार, 22 मार्च, 2024 (ई०)

2 चैत्र, 1946 (श०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

11 जनवरी, 2024

संख्या-03/नि०सं०-09-16/2021 का. 220--WP(S) No. 1021/2023 हरिवंश पंडित बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री हरिवंश पंडित, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 5/20), अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 1213 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के पद पर उन्हें दिनांक 02.02.2023 के प्रभाव से प्रदत्त प्रोन्नति को उनसे कनीय को प्रदत्त प्रोन्नति दिनांक 25.09.2020 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने तथा बकाया अन्तर राशि के भुगतान के लिए अभ्यावेदन दिया गया ।

2. WP(S) No. 1021/2023 हरिवंश पंडित बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"In view of the aforesaid facts and since the instant prayer of the petitioner has to be considered by the respondents at the first instance, this writ petition stands disposed of with a direction to the petitioner to submit a fresh representation before the respondent no. 2 within a period of three weeks from today and if such representation is filed the respondent no. 2 shall dispose it of by speaking and reasoned order within a period of eight weeks from the date of submission of such representation.

It goes without saying that if the claim of the petitioner is found to be genuine, necessary orders to that respect shall be passed by the respondent no. 2 expeditiously.

This writ petition stands disposed of."

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 7038 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा LPA No-414/2020 एवं LPA No- 54/2021 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74, झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2074/ वि.(2) दिनांक 04.04.1985 एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए श्री हरिवंश पंडित, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 5/20) को दिनांक 03.09.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की गई है।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या 675 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा श्री हरिवंश पंडित, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 5/20) को दिनांक 09.01.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

5. उल्लेखनीय है कि श्री हरिवंश पंडित, झांप्र०से० से कनीय श्रीमती सीमा सिंह, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 6/20) को विभागीय अधिसूचना संख्या 6105 दिनांक 28.09.2021 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है, जिसका वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय है।

6. विभागीय अधिसूचना संख्या 6128 दिनांक 01.11.2023 के द्वारा WP(S) No-5119/2022 प्रणव कुमार पाल एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/- ग्रेड पे 6600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11) के कुल 53 पदाधिकारियों को दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100/-ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में अधिसूचना ज्ञापांक 6137 दिनांक 28.09.2021 द्वारा प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर विभागीय समिति की अनुशंसा की तिथि दिनांक 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई है। उक्त अधिसूचना के द्वारा श्रीमती सीमा सिंह, झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक 6/20) को भी दिनांक 25.09.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई है।

7. अतएव उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री हरिवंश पंडित झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 5/20) से प्राप्त आवेदन एवं WP(S) No.1021/2023 हरिवंश पंडित बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री हरिवंश पंडित झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 5/20) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में दिनांक 02.02.2023 से प्रदत्त प्रोन्नति के स्थान पर उनसे कनीय श्रीमती सीमा सिंह, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 6/20) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि दिनांक 25.09.2020 के प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

8. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम - 74 के आलोक में श्री पंडित को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

9. यह प्रोन्नति W.P.(S) No. 2189/2023 राजीव कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा सम्बद्ध वादों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

10. यह प्रोन्नति W.P.(S) No. 3795/2003 एवं W.P.(S) No. 3792/2016 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

11. इनकी प्रोन्नति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(PIL) No. 3594/2011 बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ के क्रम CBI, AHD, Ranchi Case No. RC 05(A)/2012- AHD-R and CBI, AHD, Ranchi Case No. RC 06 (A)/2012- AHD-R दर्ज वाद के फलाफल से प्रभावित होगी ।

12. इनकी प्रोन्नति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 625/2021 बन्दना भारती बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा W.P.(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।
